राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/ 6004-6284 दिनांक 5/9/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत गठित उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय स्थापना बाबत।
प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1807–2083 दिनांक 17.05.2012 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार गठित सभी समितियों को किराये पर कार्यालय प्राथमिकता पर स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त कार्यालय के बाहर बोर्ड इत्यादि लगवाये जावे एवं कार्यालय में जलग्रहण समिति के पदाधिकारियों के नाम, पद एवं जलग्रहण समिति द्वारा सम्पादित कार्यों की सूचना भी प्रदर्शित की जावें। जलग्रहण समितियों को कार्यालय भवन उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जलग्रहण समितियों के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड को सुरक्षित रखा जा सके एवं जलग्रहण समितियों को दैनिक कार्य सम्पादन हेतु स्थान उपलब्ध हो।

कतिपय जिलों में भ्रमण के दौरान यह ध्यान में लाया गया है कि जलग्रहण समितियों को किराये पर कार्यालय स्थान तो उपलब्ध करवा दिया गया है, किन्तु उक्त कार्यालय भवन का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, कार्यालय भवन में किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है एवं न ही कार्यालय भवन के बाहर कोई बोर्ड/सूचना/जलग्रहण समितियों के कार्यों की सूचना/नारे इत्यादि प्रदर्शित किये गये हैं। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

इस सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. सर्वप्रथम जलग्रहण समिति द्वारा उपयुक्त स्थान का चिन्हिकरण कर सम्बन्धित पी.आई.ए. को लिखित में कार्यालय भवन उपलब्ध करवाने की मांग प्रस्तुत की जायेगी।
2. सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा सर्वप्रथम सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपलब्ध राजकीय भवनों यथा ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदि में कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध होने/नहीं होने की सूचना प्राप्त करेंगे। राजकीय भवन में स्थान उपलब्ध होने पर सम्बन्धित जलग्रहण समिति का कार्यालय राजकीय भवन में स्थापित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
3. यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में स्थापित राजकीय भवनों में कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होता है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा स्थान का भ्रमण कर निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार कार्यालय भवन हेतु निजी स्थल किराये पर लेने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
4. जलग्रहण समिति द्वारा नियमानुसार संधारित किये जाने वाला समस्त रिकार्ड कार्यालय भवन में सुव्यवस्थित रखा जावेगा।
5. जलग्रहण समिति कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर, बक्से, अलमारी, दरी इत्यादि पी.आई.ए. की अनुशंषा के उपरान्त समिति द्वारा उनको प्रशासनिक मद में आवंटित राशि में से क्रय किये जावेंगे।

6. कार्यालय स्थापना के पश्चात कार्यालय भवन के बाहर एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा, जिस पर कार्यालय का नाम, परियोजना का नाम, जलग्रहण समिति का नाम, समिति के पदाधिकारियों के नाम एवं पद, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर आदि सूचनाएं स्पष्ट उल्लेखित की जायेगी।
7. कार्यालय भवन में सूचना पट्ट स्थापित किया जायेगा, जिस पर परियोजनान्तर्गत जलग्रहण समिति द्वारा सम्पादित कार्यों की सूचना मय तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि तथा व्यय की गई राशि अंकित की जायेगी।
8. कार्यालय भवन के अन्दर जलग्रहण विकास एवं परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न पोस्टर्स इत्यादि प्रदर्शित किये जायेंगे, जिससे कार्यालय में आने वाले लोगों को परियोजना एवं जलग्रहण विकास से होने वाले लाभों की सूचना उपलब्ध हो सके।
9. कार्यालय में जलग्रहण समिति द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों का सम्पादन से पूर्व एवं सम्पादन के पश्चात के फोटोग्राफस संधारित किये जायेंगे।
10. कार्यालय भवन के बाहर दीवारों पर जलग्रहण विकास से सम्बन्धित नारा लेखन इत्यादि प्रदर्शित किये जायेंगे।
11. सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा उक्त कार्यालय भवन का स्वयं भौतिक निरीक्षण कर कार्यालय भवन का फोटो लिया जायेगा एवं भवन किराये के भुगतान से पूर्व उक्त फोटो के साथ यह प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि उनके द्वारा कार्यालय भवन का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है एवं विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके पश्चात ही प्रत्येक माह कार्यालय भवन के किराये का भुगतान की स्वीकृति जारी की जावेगी। उक्त किराये पर होने वाला व्यय परियोजना हेतु जलग्रहण समिति को उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि में से वहन किया जायेगा।
12. विभिन्न अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जलग्रहण समिति के कार्यालय भवन का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जायेगा एवं जलग्रहण समिति की निरीक्षण पंजिका में इस बाबत टिप्पणी अंकित की जायेगी कि कार्यालय भवन विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थापित है अथवा नहीं।
13. जलग्रहण समिति के कार्यालय भवन का उपयोग स्वयं सहायता समूहों इत्यादि की बैठकों हेतु भी किया जा सकेगा।

उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना कडाई से सुनिश्चित की जावें।

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/ 6604-6284 दिनांक 5/9/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII/MIES)/परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त लेखाधिकारी (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त), जिला परिषद
5. समस्त पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)
6. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक